कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

पंत्राक 370 /नि0सू0/2023–24 दिनांक 24.07.2023

अल्पकालीन ई–निविदा

उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, राजपुर रोड में फूड कोर्ट/कैन्टीन के संचालन हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत/निजी फर्मो एवं अन्य राजकीय/अर्धराजकीय विभागों में पजीकृत फर्मो से टू–बिड सिस्टम के अन्तर्गत (तकनीकी एवं वित्तीय) एवं जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत हो से 03 वर्ष के लिये ई–निविदा दिनांक 08.08.2023 को अपरान्ह 2.00 बजे तक बेबसाईट www.uktenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्य की प्राप्त निविदा दिनांक 09.08.2023 को निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा के संबंध में सर्वाधिकार उपाध्यक्ष में निहीत होगा। विस्तृत जानकारी एम0डी0डी0ए0 की बैबसाईट पर उपलब्ध है।

अधिशासी अभियन्ता, म0दे0वि0प्राधिकरण देहरादून।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

दिनांकः–24/7/23

पत्रांकः–370/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

उपाध्यक्ष एम0डी0डी0ए0, देहरादून द्वारा एम0डी0डी0ए0 में पंजीकृत फर्मों एवं अन्य राजकीय/अर्धराजकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, राजपुर में फूड कोर्ट/कैंटीन के संचालन हेतु द्वि–निविदा प्रणाली (Two Bid System) से निविदाये ई–निविदा वेबसाईट www.uktenders.gov.in के माध्यम से दिनांक 08.08.2023 को अपराह्न 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद आने वाले टेण्डर रद्द समझे जायेंगे। डाक व अन्य कारणों से विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदाओं के लिये एम0डी0डी0ए0 उत्तरदायी नही होगा। निविदा में दी जाने वाली दरों में जी0एस0टी0 का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा। प्राप्त निविदायें दिनांक 09.08.2023 को गठित निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण ई–निविदा वेबसाईट www.uktenders.gov.in एवं एम0डी0डी0ए0 की वेबसाईट www.mddaonline.in मे देखी जा सकती है। कार्य का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	धरोहर राशि रु0	निविदा मूल्य (जी0एस0टी0 सहित)	कार्य की अवधि	निविदा की वैधता
1.	डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, राजपुर में फूड कोर्ट/कैंटीन का संचालन	रु0 21.60 लाख	रु0 2.16 लाख	रु0 5900/–	36 माह	90 दिन

नोटः– शर्ते एवं प्रतिबंध मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं।

24/7/23

अधिशासी अभियंता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

शर्तें एवं प्रतिबन्ध

फूड कोर्ट/कैंटीन हेतु शर्तें:–

1. डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, राजपुर में फूड कोर्ट/कैंटीन हेतु निविदा स्पष्ट शब्दों में लिफाफे के बाहर लिखें। सशर्त निविदा रद्द समझे जायेंगे।
2. डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, राजपुर में फूड कोर्ट/कैंटीन की निविदा की समयावधि कार्यादेश जारी होने से 03 वर्ष तक होगी।
3. निविदा प्रपत्र सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के कार्यालय से निर्धारित मूल्य जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
4. निविदा के साथ संलग्न की जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0/बैंक गारंटी या पोस्ट ऑफिस की पास बुक होना अनिवार्य है। वन्धक धनराशि सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के नाम प्लेज होना चाहिए।
5. प्राप्त निविदाओं को स्वीकार करने या न करने का पूर्ण अधिकारी अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा निविदाओं के अनुमोदन के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा कार्यादेश निर्गत होने से पूर्व निविदादाता को फूड कोर्ट/कैंटीन की अनुमोदित निविदा मूल्य का प्रत्येक वर्ष की 100 प्रतिशत धनराशि अग्रिम जमा करनी होगी। फूड कोर्ट/कैंटीन की अनुमोदित निविदा मूल्य का प्रत्येक 03 महीने की 25 प्रतिशत धनराशि अग्रिम जमा करनी होगी। उक्त निर्धारित समय अन्तर्गत धनराशि जमा न करने पर निविदा निरस्त करते हुए नई निविदा आमंत्रित करते हुए निविदादाता की संपूर्ण प्रतिभूति जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
7. फूड कोर्ट/कैंटीन की निविदा का अनुमोदित मूल्य में वार्षिक 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
8. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को वार्षिक निविदा की धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में बैंक की एफ0डी0आर0 जो सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के नाम से प्लेज हो, जमा करानी होगी।
9. निविदादाता को नियमानुसार आयकर/जी0एस0टी0, स्टाम्प शुल्क तथा शासन द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क जमा करना होगा।
10. निविदादाता की निविदा स्वीकार होने पर निविदा किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर हस्तान्तरण नही की जा सकेगी।
11. निविदा के इच्छुक निविदादाता द्वारा अपने चरित्र प्रमाण पत्र, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, जो छः माह से अधिक समय का न हो।
12. आयकर विभाग के पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
13. निविदाता द्वारा फूड कोर्ट/कैंटीन का पानी एवं विद्युत बिलों तथा जनरेटर सेट का उपयोग करने पर मीटर रिडिंग के अनुसार भुगतान स्वयं करना होगा।
14. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा फूड कोर्ट/कैंटीन से संबंधित सभी प्रकार के करों का भुगतान निविदादाता को करना होगा।
15. कार्यस्थल की सम्पूर्ण स्थल की सफाई व्यवस्था निविदादाता द्वारा सुनिश्चित करानी होगी।
16. फूड कोर्ट/कैंटीन हेतु समस्त व्यवस्था जैसे–फर्नीचर, किचन, क्रॉकरी, स्टॉल सजावट आदि निविदादाता के स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
17. यदि किसी भी प्राकृतिक या अन्य किसी कारण से निविदादाता को आवंटित फूड कोर्ट/कैंटीन से आय प्रभावि होती है, तो इसकी प्रतिपूर्ति के लिय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून से किसी भी प्रकार की मांग का निविदादाता को कोई अधिकारी नही होगा और न ही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून उत्तरदायी होगा।

18. प्रत्येक मंगलवार को छोड़कर शेष सभी दिनों के लिए डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, राजपुर के फूड कोर्ट/कैंटीन के खुलने का समय प्रातः 08 बजे एवं बन्द करने का समय रात्रि: 09 बजे होगा।
19. फूड कोर्ट/कैंटीन में किसी प्रकार का साउण्ड सिस्टम एवं लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित होगा।
20. फूड कोर्ट/कैंटीन पर नशीला पदार्थ रखना/विक्रय करना/या उसका सेवन करना अवैध होगा। उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध प्रचलित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
21. फूड कोर्ट/कैंटीन की साफ–सफाई की सारी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। फूड कोर्ट/कैंटीन के अंदर/बाहर किसी भी प्रकार का पॉलीथीन का प्रयोग करना वर्जित होगा।
22. उन संस्थाओं/प्रतिष्ठित व्यक्तिगत कम्पनियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्हें हॉस्पिटलिटी एण्ड फूड सेक्टर तथा रनिंग फूडकोर्ट/प्लाजा/मॉल, पार्क एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कार्य संचालन का 03 वर्षों का अनुभव हो। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
23. यदि सफल निविदादाता द्वारा फूड कोर्ट/कैंटीन बिना कारण बताये एक सप्ताह तक बन्द रखा जाता है, तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून पर्यटकों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए फूड कोर्ट/कैंटीन संचालित करने हेतु स्वतन्त्र होगी।
24. सफल निविदादाता फूड कोर्ट/कैंटीन के किसी भी आईटम पर केन्द्रीय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की आज्ञा के बिना प्राधिकरण के लोगो का प्रयोग नही कर सकेगा।
25. सफल निविदादाता द्वारा फूड कोर्ट/कैंटीन पर तैनात किये जाने वाले कार्मिकों का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर संबंधित मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को देना होगा।
26. सफल निविदादाता द्वारा फूड कोर्ट/कैंटीन पर तैनात किये जाने वाले कार्मिकों के लिए पार्क के अन्य भागों में जाने पर प्रतिबन्ध होगा।
27. फूड कोर्ट/कैंटीन में कार्यरत कार्मिकों का आचरण स्वच्छ होना चाहिए तथा साथ ही पुलिस सत्यापन का ठेकेदार द्वारा प्रमाण पत्र भी संबंधित मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को प्रेषित किये जायेंगे।
28. फूड कोर्ट/कैंटीन में काम पर लगाये जाने वाले सभी कार्मिकों का वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान निविदादाता को स्वयं करना होगा। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून किसी भी कार्मिक का वेतन एवं अन्य भत्तों से संबंधित भुगतान हेतु उत्तरदायी नही होगा।
29. फूड कोर्ट/कैंटीन पर विक्रय किये जाने वाली सामग्री प्रिन्टेड मूल्य से अधिक पर विक्रय करना अवैध होगा। फूड कोर्ट/कैंटीन पर सभी आईटमों की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
30. फूड कोर्ट/कैंटीन में किसी भी प्रकार का निर्माण/मरम्मत कार्य विना अनुमति के अवैध होगा।
31. फूड कोर्ट/कैंटीन निविदादाता को जिस स्थिति में दिया जायेगा निविदा की अवधि समाप्ति पर निविदादाता को उसी स्थिति में विभाग को सौंपना होगा अर्थात् सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नही पहुँचाना होगा।
32. निविदादाता कार्यस्थल एवं कार्य की प्रकृति का भली–भांति निरीक्षण कर लें। कार्यादेश के पश्चात् कोई ऐतराज मान्य नही होगा।
33. फूड कोर्ट/कैंटीन का किराया न्यूनतम रु0 60,000 प्रति माह होगा।
34. फूड कोर्ट/कैंटीन में उत्तराखण्ड के स्थानीय और जैविक आहार को प्राथमिकता दी जायेगी।
35. फूड कोर्ट/कैंटीन की साफ–सफाई की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी और सफाई FASSAI के मानकों के अनुसार होनी चाहिए।
36. प्रत्येक निविदादाता के 50 प्रतिशत कर्मचारी उत्तराखण्ड के मूल निवासी होने चाहिए।
37. अपशिष्ट निपटान के लिए FASSAI के दिशा–निर्देश का पालन करना अनिवार्य है।
38. अपशिष्ट खाद्य तेल का निपटान RUCO के दिशा–निर्देश के अनुसार होना चाहिए।
39. निविदादाता खाने की गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए साफ, स्वच्छ और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएं।
40. निविदादाता को मूल रूप से उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

11. किसी भी समय निविदादाता को किसी ऐसी प्रक्रिया में लीन पाया जाता है, जिससे प्राधिकरण की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में तत्काल अनुबंध समाप्त करने का पूर्ण अधिकारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को होगा।

फूड कोर्ट/कैंटीन हेतु विशिष्ट शर्तें:-

फूड कोर्ट/कैंटीन हेतु उन संस्थाओं/प्रतिष्ठित व्यक्तिगत कम्पनियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिन्हें हॉस्पिटिलिटी एण्ड फूड सेक्टर तथा रनिंग फूड कोर्ट/प्लाजा/मॉल, पार्क पर सीधे तौर पर कार्य संचालन का न्यूनतम 03 वर्षो का अनुभव हो एवं उनके संस्थाओं/प्रतिष्ठित कम्पनियों के हॉस्पिटिलिटी एण्ड फूड सेक्टर का वार्षिक टर्न-ओवर न्यूनतम रु0 25,00,000/- (25.00लाख रुपये) होना आवश्यक है। उपरोक्त कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र एवं पिछले तीन वर्षों का वार्षिक इनकम टैक्स रिर्टन जिसमें ऊपर दिये गये टर्न-ओवर के मानक को स्पष्ट रूप से दर्शाता हो, को संलग्न करना अनिवार्य होगा।

बिड (निविदा) में संलग्न किये जाने वाले अभिलेख:-

1. **तकनीकी बिड (निविदा) :-**
   - क) निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु निर्धारित मूल्य का प्रमाण/बैंक ड्राफ्ट (विभागीय वैबसाईट से डाउनलोड करने पर)
   - ख) प्रतिभूति की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 या पोस्ट ऑफिस की पास बुक। बन्धक धनराशि सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के नाम प्लेज होना चाहिए।
   - ग) अनुभव प्रमाण पत्र।
   - घ) पेन कार्ड।
   - ड) जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमण पत्र।
   - च) इनकम टैक्स रिटर्न (शर्तो के अनुसार)।
   - छ) (₹) 100/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर (₹) 1.00 का रसीदी टिकट जिस पर हस्ताक्षर हों।

2. **वित्तीय बिड (निविदा) :-**
   (क) बिड (निविदा) की अनुमानित मूल्य/धनराशि का स्पष्ट विवरण संख्या एवं शब्दों में।
   * बिड (निविदा) में फूड कोर्ट/कैंटीन के मासिक अनुमानित मूल्य अंकित किया जाये।

(हस्ताक्षर)
अधिशासी अभियंता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

पत्र संख्या- 370/2023 दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यालय सूचना पट्ट हेतु।

(हस्ताक्षर) 14/7/23
अधिशासी अभियंता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।